देवेंद्र सिंह ए. एस. आई. बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(पर्मोद कोहली, जे.)

पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के प्रावधान, जैसा कि संशोधित किया गया है।पटियाला नगरपालिका समिति के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा दायर दीवानी अपीलों को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है।" (16) इस प्रकार किसी भी दृष्टिकोण से देखे जाने पर, विवादित आदेश (अनुलग्नक पी7) को कानूनी रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता है, होने योग्य है और इसे मामले की प्राप्त करने वाली परिस्थितियों में अलग रखा जाता है।

(17) उपरोक्त कारणों के आलोक में और गुण-दोष पर आगे कुछ भी टिप्पणी किए बिना, ऐसा न हो कि यह किसी भी पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकता है, नगर निगम द्वारा गृह कर के पुनर्मूल्यांकन के दौरान, तत्काल रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है।नतीजतन, विवादित आदेश (अनुलग्नक पी7) को इसके द्वारा अलग कर दिया जाता है और आदेश (अनुलग्नक पी5) को बहाल कर दिया जाता है।अर्थात्, अधिनियम के संशोधित प्रावधानों और नगरपालिका समिति, पटियाला के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता-निर्धारिती की इंगित संपत्तियों पर गृह कर लगाने के नए निर्णय के लिए मामला पहले से ही नगर निगम को वापस भेज दिया गया है।

के. सूरी

पर्मोद कोहली से पहले, जे.

डेविंदर सिंह एएसआई,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता 2008 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 21197

27 सितंबर, 2010

भारत का संविधान-अनुच्छेद 14 और 226/227-पंजाब पुलिस नियम, 1934-Rl. 9. 18 (2)-आपराधिक मामले और विभागीय कार्यवाही में संलिप्तता के आधार पर ए. सी. आर. में प्रतिकूल टिप्पणियां-आपराधिक मामले में, याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया और मुकदमा नहीं चलाया गया, जबकि अन्य दो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया-विभागीय कार्यवाही में, याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया-इस प्रकार प्रतिकूल टिप्पणियों के लिए बहुत आधार समाप्त कर दिया गया-ईमानदारी की प्रतिकूल प्रविष्टि 'संदिग्ध' और अपील में पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि ऊपर जिन प्रतिकूल रिपोर्टों पर ध्यान दिया गया है, यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि 03.01.2007 दिनांकित प्राथमिकी आर. संख्या 4 और विभागीय कार्यवाही याचिकाकर्ता की ईमानदारी पर संदेह करने के कारण हैं। जहाँ तक उनकी कार्यकुशलता आदि से संबंधित अन्य पहलुओं का संबंध है, शायद कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। प्राथमिकी आर. और विभागीय कार्यवाही के अलावा कोई सामग्री निर्दिष्ट नहीं की गई है। यहाँ तक कि इस तरह की राय के कारणों को भी जवाब में दर्ज या प्रकट नहीं किया जाता है। आपराधिक कार्यवाही और ऊपर देखी गई विभागीय जांच के परिणाम को देखते हुए, याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियों को किसी भी सामग्री द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है और इस प्रकार, उचित नहीं है।

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि कॉलम संख्या 1 "संदिग्ध" में प्रविष्टि के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियों को रद्द किया जा सकता है। इस न्यायालय के लिए अन्य कॉलमों में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता की दक्षता आदि पर टिप्पणी की गई है। नतीजतन, पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे और तकनीकी सेवा, हरियाणा द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को खारिज करते हुए पारित आदेश को भी रद्द कर दिया जाता है।

(पैरा 12,14)

भारत का संविधान-अनुच्छेद 14 और 226/227-पंजाब पुलिस नियम, 1934-Rl. 9. 18 (2) जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति-याचिकाकर्ता प्रतिकूल टिप्पणियों, आपराधिक मामले और दो विभागीय पूछताछों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो गया-आपराधिक मामले में, याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था और मुकदमा नहीं चलाया गया था, जबकि अन्य दो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था-एक विभागीय कार्यवाही में, याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया था-ईमानदारी की प्रतिकूल प्रविष्टि संदिग्ध रूप से दरकिनार कर दी गई थी-दूसरी विभागीय कार्यवाही में, दी गई अस्थायी प्रभाव के साथ एक वार्षिक ग्रेड वृद्धि को रोकने की सजा-अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति के लिए कोई यार्ड स्टिक द्वारा सजा उचित नहीं है-गैर-मौजूद सामग्री पर राय-आदेश अधिकार क्षेत्र का एक रंगीन अभ्यास है और इस प्रकार रद्द कर दिया गया-याचिकाकर्ता को हस्तक्षेप के दौरान बिना वेतन के तुरंत सेवा में बहाल करने का आदेश दिया गया।

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि गैर-मौजूद सामग्री पर राय तैयार की गई है, अर्थात बिना किसी साक्ष्य के, जैसा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विवादित आदेश से स्पष्ट है, जिसमें प्राथमिकी आर. संख्या 4 दिनांक 03.01.2007 और दो विभागीय पूछताछों का संदर्भ दिया गया है।इन दोनों मामलों के परिणाम पहले ही ऊपर देखे जा चुके हैं।इस प्रकार, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कोई आधार मौजूद नहीं है और यह रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री का मामला नहीं है।2 एस. सी. सी. 299 में निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया गया।मेरा विचार है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अधिकार क्षेत्र का एक रंगीन अभ्यास है और इसे रद्द किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन दो रिट याचिकाओं को निम्नलिखित निर्देशों के साथ अनुमति दी गई हैः1. दिनांकित 23.05.2007 (2008 के CWP No.21197 में अनुलग्नक P-1) के साथ-साथ दिनांकित 29.05.2008 (अनुलग्नक P-3) के आदेश के माध्यम से संप्रेषित एक संदिग्ध सत्यनिष्ठा की प्रविष्टि को इस हद तक अस्वीकार कर दिया जाता है कि यह संदिग्ध सत्यनिष्ठा की प्रविष्टि से संबंधित है।2. अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिनांक 02.01.2009 (2009 के CWP No.476 में अनुलग्नक P-6) भी रद्द कर दिया गया है।3. याचिकाकर्ता को तुरंत सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जाता है।याचिकाकर्ता मध्यवर्ती अवधि के दौरान किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा, यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से जब तक कि उसे बहाल नहीं किया जाता है, हालांकि उसे वेतन वृद्धि के काल्पनिक लाभों की अनुमति दी जाएगी, कोई अन्य लाभ जो उसे उपलब्ध हो सकता था यदि वह सेवा में होता, तो वेतन में संशोधन आदि, यदि कोई हो, बहाली पर अपने वेतन को निर्धारित करने के उद्देश्य से।(पैरा 15 -20)

याचिकाकर्ताओं की ओर से ए. के. बुरा, अधिवक्ता

आर. एस. कुंडू, एडिशनल।ए. जी., प्रतिवादी के लिए हरियाणा।

पर्मोद कोहली, जे।

(1) ये दोनों रिट याचिकाएं 2008 के सी. डब्ल्यू. पी. No.21197 में दिनांकित 29.05.2008 (अनुलग्नक पी-3) और 2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.476 में दिनांकित 24.12.2008 (अनुलग्नक पी-4) और दिनांकित 02.01.2009 (अनुलग्नक पी-6) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के माध्यम से 26.04.2006 से 31.03.2007 की अवधि के लिए प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं।

(2) इन दो रिट याचिकाओं को दायर करने वाले तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान दिया गया है।

(3) याचिकाकर्ता को भिवानी जिले में 12.12.1978 पर सिपाही के रूप में नियुक्त किया गया था।यह कहा गया है कि उनके 29 वर्षों की सेवा के लंबे कार्यकाल में, उन्हें 31 प्रशंसा प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया गया है, जिसमें दो प्रमाण पत्र शामिल हैं, इस अवधि के दौरान उनके खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज की गई है, यानी 26.04.2006 से 31.03.2007।याचिकाकर्ता को दिनांक 23.05.2007 के संचार के माध्यम से उसके सेवा रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिकूल रिपोर्टों से अवगत करा दिया गया है।याचिकाकर्ता ने संलग्नक पी-2 द्वारा से उचित माध्यम से उपरोक्त प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ एक अभ्यावेदन दिया।इस अभ्यावेदन को एक गैर-भाषी आदेश

द्वारा 29.05.2008 (अनुलग्नक पी-3) दिनांकित ज्ञापन के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया है, जो 2008 के सी. डब्ल्यू. पी. No.21197 में प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ चुनौती का विषय है।जबकि यह रिट याचिका लंबित थी, याचिकाकर्ता को पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 9,18 (2) के उप नियम (2) के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव करते हुए एक कारण दिखाएँ नोटिस (2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.476 के साथ अनुलग्नक पी-2) दिया गया है, जो हरियाणा राज्य पर लागू होता है और समय-समय पर संशोधित किया जाता है।उन्हें 15 दिनों के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा गया था।उपरोक्त कारण दर्शाओ नोटिस के जवाब में, याचिकाकर्ता ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के सी. डब्ल्यू. पी. <आई. डी. 2 के साथ संलग्नक पी-3 द्वारा से उचित चैनल द्वारा से एक विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया, अपने दिनांकित 23.12.2008 (2009 के सी. डब्ल्यू. पी. आई. डी. 2 के साथ संलग्नक पी-4) के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया और इसे पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 9,18 (2) के तहत अनुमोदन के लिए सरकार को भेज दिया।इस आदेश को याचिकाकर्ता को दिनांकित 31.12.2008 पत्र (2009 के CWP No.476 के साथ अनुलग्नक P-5) के माध्यम से सूचित करने का निर्देश दिया गया था।नतीजतन, याचिकाकर्ता एक बाद के आदेश दिनांक 02.02.2009 (2009 के CWP No.476 के साथ अनुलग्नक P-6) के माध्यम से 31.12.2008 से सेवानिवृत्त हो जाता है।2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.476 में कारण दिखाएँ नोटिस और अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश चुनौती का विषय है।(4) इन रिट याचिकाओं में प्रतिकूल रिपोर्ट और अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने के लिए सामान्य आधार पेश किए गए हैं।

(5) ऐसा माना जाता है कि याचिकाकर्ता को नवंबर, 2006 के महीने में रेलवे पुलिस चौकी, भिवानी के प्रभारी के रूप में तैनात किया गया था, जहाँ सूरज मल, हेड कांस्टेबल, बेल्ट No.522, उसके अधीन काम कर रहा था।आरोप है कि सूरज मल ईमानदारी से काम नहीं कर रहा था।याचिकाकर्ता ने अपनी अभाव दर्ज की और इस कारण से वह याचिकाकर्ता के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया।यह आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता डब्ल्यू. ई. एफ. 11.12.2006 से 645 तक एक दिन की छुट्टी पर था।

देवेंद्र सिंह ए. एस. आई. बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(पर्मोद कोहली, जे.)

12.12.2006 और इस अवधि के दौरान, सूरज मल ने याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए सूरत सिंह के बेटे जय सिंह, जाति सांसी को उकसाया।जय सिंह की शिकायत पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 344,383 और 34 के तहत पुलिस स्टेशन, जीआरपी, हिसार में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 4 दिनांक 03.01.2007 दर्ज की गई थी।एक निरीक्षक, सी. आई. ए. ओम प्रकाश को इसकी जांच सौंपी गई थी। याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग की जिसे विद्वान सत्र न्यायाधीश, भिवानी ने मंजूर कर लिया।अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए खंड 439 (2) Cr.P.C के तहत एक याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था।जाँच के बाद, याचिकाकर्ता को खंड 173 Cr.P.C के तहत अदालत में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था, न ही उसे अदालत द्वारा तलब किया गया था।यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया गया था।जांच करने वाले डीएसपी रणवीर सिंह ने याचिकाकर्ता को निर्दोष पाया।याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणियां गलत हैं और किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं हैं।याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों का संकेत देने वाले 23.05.2007 दिनांकित ज्ञापन के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई 03.01.2007 दिनांकित प्राथमिकी संख्या 4 का संदर्भ दिया गया है।याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई दो विभागीय जांचों का आगे उल्लेख किया गया है और याचिकाकर्ता को इन दोषों को दूर

करने की सलाह दी गई है।याचिकाकर्ता ने अपनी प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे 29.05.2008 दिनांकित ज्ञापन के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति का आदेश पूरी तरह से गैर-बोलने वाला है।"किसी भी योग्यता से रहित" के अलावा कोई कारण नहीं बताया गया है।याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कभी भी आरोपी नहीं बनाया गया था।अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में, यहां तक कि अन्य आरोपी, जिनके खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवानी की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था, को दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से बरी कर दिया गया था।यहां तक कि विभागीय कार्यवाही में भी, याचिकाकर्ता को पूछताछ अधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था।सजा देने वाले प्राधिकरण ने पूछताछ अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति जताते हुए याचिकाकर्ता को कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया जिसमें स्थायी प्रभाव से भविष्य में होने वाली पांच वेतन वृद्धि को रोकने की सजा देने का प्रस्ताव किया गया है।याचिकाकर्ता ने कारण दर्शाओ नोटिस में अपना जवाब प्रस्तुत किया।हालाँकि, सजा देने वाले प्राधिकरण ने उनके दिनांकित 17.10.2008 के आदेश के अनुसार, स्थायी प्रभाव से भविष्य में एक वेतन वृद्धि को रोकने की सजा दी।सजा के अधिनिर्णय से व्यथित, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक अपील को प्राथमिकता दी और याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनने और रिकॉर्ड पर विचार करने पर, याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार कर ली गई और

एक वार्षिक ग्रेड वृद्धि को रोकने की सजा को कम करके सेंसर की सजा कर दिया गया है, दिनांक 16.07.2008 के आदेश के अनुसार।(2008 के सी. डब्ल्यू. पी. No.21197 के साथ संलग्नक पी-5)।

(6) याचिकाकर्ता की प्रतिकूल ए. सी. आर. के खिलाफ शिकायतों में से एक यह है कि प्रतिकूल रिपोर्ट सरकारी निर्देशों दिनांक 12.12.1985 का उल्लंघन करते हुए दर्ज की गई है।प्रतिवादी द्वारा पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश भी पूरी तरह से उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी, प्रतिकूल एसीआर और विभागीय कार्यवाही पर आधारित है।

(7) दोनों रिट याचिकाओं के जवाब में, याचिका लगभग आम है।इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि याचिकाकर्ता को प्राथमिकी आर. संख्या 4 दिनांक 1 में मुकदमे के लिए नहीं भेजा गया था, यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच में पूछताछ अधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था।हालांकि, याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराने के लिए, यह आरोप लगाया जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दूसरे मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था।एक मामले में, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि को स्थायी प्रभाव से रोक दिया गया था।याचिकाकर्ता के खिलाफ गणपत राम के बेटे नारायण दत्त द्वारा दायर एक अन्य शिकायत का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने गहने की चोरी की अपनी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और आरोपी को भागने में मदद की और इस तरह उसने सरकार/रेलवे पुलिस, हरियाणा की छवि को धूमिल किया है।

(8) 26.4.2006 से 31.03.2006 तक की अवधि के लिए संलग्नक पी-1 के माध्यम से याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियां इस प्रकार हैंः-

“(1) ईमानदारी-संदेहपूर्ण

(3) अधीनस्थों के कदाचार को उजागर करने के लिए नैतिक साहस और तैयारी-अभाव।

(4) जनता के साथ निष्पक्ष व्यवहार और जनता तक पहुंच के लिए प्रतिष्ठाःउचित नहीं है।

(9) व्यक्तित्व और पहलःउचित नहीं है।(10) कामान की शक्तिःढीला।

(11) जाँच के आधुनिक तरीकों और आधुनिक पुलिस तरीकों में रुचिःउसके पास नहीं है।

647

देवेंद्र सिंह ए. एस. आई. बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(पर्मोद कोहली, जे.)

(12) निवारक और जासूसी क्षमताःउचित नहीं है।

(13) आपराधिक कानून और प्रक्रिया का कार्य अनुभवःअनुभव की कमी है।

(14) विश्वसनीयताःविश्वसनीय नहीं है।

(16) क्या अधिकारी/अधिकारी H.Qrs पर रहता है या कार्यालय के घंटों के बाद नहीं रहता हैःनहीं रहता/नहीं रहता।

(19) दोष, यदि कोई हो, और क्या उन्हें किसी पत्र द्वारा से उनके ध्यान में लाया गया थाःप्राथमिकी आर. संख्या 4 दिनांक 3.1.07, यू/एस 384/342/34 भा.दं.सं. सी. जी. आर. पी. एस., हिसार में अन्य लोगों के साथ संलिप्तता के कारण निलंबित कर दिया गया था और ज्ञापन No.1567-78/ए-1 दिनांक 9.1.2007 के माध्यम से विभागीय जांच शुरू की गई थी।समय पर शिकायत का पंजीकरण न होने के कारण ज्ञापन No.1599-605 A-1 दिनांक 9.1.2007 के माध्यम से विभागीय जांच शुरू की गई थी।सामान्य टिप्पणीःपुलिस विभाग में अक्षम कर्मचारी।एएसआई देविंदर सिंह को उपरोक्त प्रतिकूल टिप्पणियों से अवगत कराया जाए और इन दोषों को दूर करने का निर्देश दिया जाए।कर्मचारी की तिथि के साथ हस्ताक्षर दूसरी प्रति पर प्राप्त किया जाना चाहिए, जो इसके साथ संलग्न है और इसे पावती के रूप में इस कार्यालय में भेजा जा सकता है।

एसडी/-

पुलिस महानिदेशक, रेलवे और तकनीकी सेवा, हरियाणा, मोगी नंद, पंचकूला।" (9) उपरोक्त प्रतिकूल प्रविष्टियों को संप्रेषित करते समय, संचार के अंतिम पैराग्राफ में यह भी उल्लेख किया गया था कि अधिकारी को इन दोषों को दूर करने का निर्देश दिया जाए।ऐसा भी प्रतीत होता है कि विभिन्न कॉलमों में प्रतिकूल टिप्पणियां, मुख्य रूप से, याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच की प्राथमिकी आर. संख्या 4 दिनांक 03.01.2007and पर आधारित हैं।अन्यथा याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टियाँ दर्ज करने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं भेजी गई है।याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को निरीक्षक द्वारा खारिज कर दिया गया है

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2012(1)

648

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक, रेलवे और तकनीकी सेवाएँ एक गुप्त और गैर-भाषी आदेश द्वारा।अस्वीकृति आदेश दिनांक 29.05.2008 (अनुलग्नक पी-3) निम्नानुसार हैः-

"मैंने एएसआई देविंदर सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्डों को देखा है जो उनके एसीआर में 26.4.2006 से 31.3.2007 की अवधि के द्वारा दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ हैं।उनके प्रतिनिधित्व को किसी भी योग्यता से रहित मानते हुए खारिज कर दिया गया है।प्रतिनिधि को तदनुसार सूचित किया जाए

एसडी/-

(K.K.Mishra)

पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे और तकनीकी सेवा, हयाना, मोगी नंद, पंचकुला।" (10) याचिकाकर्ता ने आपराधिक मामले में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवानी द्वारा पारित 06.12.2008 के रिकॉर्ड आदेश को दर्ज किया है, जो 03.01.2007 की प्राथमिकी संख्या 4 के अनुसार दायर किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता शुरू में शामिल था।याचिकाकर्ता को अभियुक्त नहीं बनाया गया है।यहां तक कि जिन दो लोगों को आरोपी बनाया गया है, उन्हें भी बरी कर दिया गया है।यह भी स्वीकार किया जाता है कि विभागीय जांच में भी याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया है।इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों का आधार ही गायब हो जाता है।

(11) उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ता ने सरकारी निर्देशों दिनांक 12.12.1985 पर भी भरोसा किया है। संदिग्ध सत्यनिष्ठा के संबंध में रिपोर्टिंग से संबंधित प्रासंगिक निर्देशों के लिए आवश्यक है कि रिपोर्टिंग अधिकारी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्या अधिकारी पर भ्रष्टाचार का संदेह है या माना जाता है कि वह भ्रष्ट है और यह राय आम तौर पर उन कारणों से तैयार की जानी चाहिए जो रिपोर्टिंग अधिकारी के पास हो सकते हैं।

(12) ऊपर यहाँ देखी गई प्रतिकूल रिपोर्टों से, यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि 03.01.2007 दिनांकित प्राथमिकी आर. संख्या 4 और विभागीय कार्यवाही याचिकाकर्ता की ईमानदारी पर संदेह करने के कारण हैं।जहाँ तक उनकी कार्यकुशलता आदि से संबंधित अन्य पहलुओं का संबंध है, शायद कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है किसी भी सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया है।

649

देवेंद्र सिंह ए. एस. आई. बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(पर्मोद कोहली, जे.)

प्राथमिकी आर. और विभागीय कार्यवाही।यहाँ तक कि इस तरह की राय के कारणों को भी जवाब में दर्ज या प्रकट नहीं किया जाता है।आपराधिक कार्यवाही और ऊपर देखी गई विभागीय जांच के परिणाम को देखते हुए, याचिकाकर्ता की ईमानदारी के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियों की किसी भी सामग्री द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है और इस प्रकार, उचित नहीं है।

(13) अपीलीय प्राधिकरण ने उस अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के लिए कोई कारण दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई, जिससे बेहद लापरवाही से निपटा गया है।यहाँ तक कि जवाब में भी याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने के लिए कोई आधार नहीं बताया गया है।यह भी देखा गया है कि प्रतिकूल प्रविष्टियों को संप्रेषित करते समय, याचिकाकर्ता को उसके दोषों को दूर करने के लिए परामर्श देने का सुझाव दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ता को परामर्श या उसके दोषों से अवगत नहीं कराया गया था।इस प्रकार, सजा देने के बाद सलाह या परामर्श घोड़े के सामने गाड़ी रखने के बराबर है।

(14) इस प्रकार, आदेश दिनांक 23.05.2007 (अनुलग्नक पी–1) अर्थात प्रतिकूल कॉलम नंबर 1 "संदिग्ध" में प्रविष्टि के संबंध में टिप्पणियाँ रद्द की जा सकती हैं। इसमें अन्य कॉलमों में हस्तक्षेप करना इस न्यायालय के

लिए संभव नहीं है याचिकाकर्ता की दक्षता आदि पर टिप्पणी की गई है। फलस्वरूप, निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2008 (अनुलग्नक पी–3)। पुलिस, रेलवे और तकनीकी सेवाएं, हरियाणा के जनरल ने इसे खारिज कर दिया याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व भी खारिज कर दिया गया है

(15) अब 2009 की सिविल रिट याचिका No.476 पर आते हैं।याचिकाकर्ता को उपरोक्त प्रतिकूल टिप्पणियों, प्राथमिकी आर. संख्या 4 दिनांक 1 और दो विभागीय पूछताछों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 2 (अनुलग्नक पी-4) के विवादित आदेश के माध्यम से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है।एक विभागीय जांच में, याचिकाकर्ता को अस्थायी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि को रोकने की सजा दी गई है, जबकि एक अन्य विभागीय जांच में उसे स्थायी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि को रोकने की सजा दी गई है।दूसरी जांच गणपत राम के बेटे नारायण दत्त की शिकायत पर की गई थी। जहां तक दूसरी जांच का संबंध है, याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकरण यानी पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे और तकनीकी सेवा, हरियाणा, दिनांक 16.07.2008 द्वारा पारित एक आदेश को रिकॉर्ड पर रखा है, जिसके तहत

स्थायी प्रभाव के साथ एक वार्षिक ग्रेड वृद्धि को रोकने का जुर्माना घटाकर केवल सेंसर कर दिया गया है।आई. डी. 1 दिनांकित प्राथमिकी आर. संख्या 4 के संबंध में, यह पहले ही देखा जा चुका है कि याचिकाकर्ता का आपराधिक मामले में चालान नहीं किया गया है और विभागीय पूछताछ में उसे दोषमुक्त कर दिया गया है।यह चिंता का विषय है कि पुलिस महानिदेशक, रेलवे और तकनीकी सेवा, हरियाणा ने एक ऐसे दंड पर भरोसा किया जो मौजूद नहीं है, अपीलीय प्राधिकरण ने स्थायी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि को रोकने के दंड को सेंसर में बदल दिया है।या तो अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को उनके संज्ञान में नहीं लाया गया था या उन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करते समय इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया था।किसी भी मामले में, केवल एक विभागीय जांच में दिए गए अस्थायी प्रभाव के साथ एक वार्षिक ग्रेड वृद्धि को रोकने के दंड के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश, बिना किसी मानदंड के उचित है।

(16) नायकुंथा नाथ दास बनाम मुख्य जिला के मामले में।

चिकित्सा अधिकारी (1), माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की वैधता की जांच के लिए पांच सिद्धांत निर्धारित किए हैं।प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

“16. बैकुंथा नाथ दास बनाम मुख्य जिला मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ।चिकित्सा अधिकारी ने निम्नलिखित पाँच सिद्धांतों (एस. सी. सी. पीपी.) को निर्धारित किया।315-16 पैरा 34):-

“(i) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई दंड नहीं है।इसका मतलब कोई कलंक नहीं है और न ही दुर्व्यवहार का कोई सुझाव है।((ii) सरकार द्वारा यह राय बनाने के लिए आदेश पारित किया जाना चाहिए कि किसी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना जनहित में है।यह आदेश सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया जाता है।

((iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के संदर्भ में प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायिक जांच को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।जबकि उच्च न्यायालय या यह

न्यायालय एक अपील न्यायालय के रूप में मामले की जांच नहीं करेगा, वे हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि आदेश पारित किया गया है (ए) दुर्भावनापूर्ण या (बी) कि यह आधारित है

(1) (1992) 2 एससीसी, 299 651

देवेंद्र सिंह ए. एस. आई. बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(पर्मोद कोहली, जे.)

कोई सबूत नहीं (सी) कि यह मनमाना है-इस अर्थ में कि कोई भी उचित व्यक्ति दी गई सामग्री पर अपेक्षित राय नहीं बनाएगा; संक्षेप में, यदि यह एक विकृत आदेश पाया जाता है।

(iv) सरकार (या समीक्षा समिति, जैसा भी मामला हो) को इस मामले में निर्णय लेने से पहले सेवा के पूरे रिकॉर्ड पर विचार करना होगा-निश्चित रूप से बाद के वर्षों के दौरान रिकॉर्ड और प्रदर्शन को अधिक महत्व देना होगा। इस तरह से विचार किए जाने वाले रिकॉर्ड में स्वाभाविक रूप से गोपनीय रिकॉर्ड/चरित्र सूची में प्रविष्टियां शामिल होंगी, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों।यदि प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद किसी सरकारी कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो इस तरह की टिप्पणियों का प्रभाव कम हो जाता है, विशेष रूप से यदि पदोन्नति योग्यता (चयन) पर आधारित है न कि वरिष्ठता पर।

(v) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को अदालत द्वारा केवल यह दिखाने पर रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं है कि इसे असंबद्ध रूप से पारित करते समय, प्रतिकूल टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा गया था।वह परिस्थिति अपने आप में हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकती।"

(17) इस निर्णय को बाद के कई निर्णयों में दोहराया गया है, जिसमें गुजरात राज्य और एक अन्य बनाम सूर्यकांत चुनीलाल शाह, (1999) 1 सर्वोच्च न्यायालय के मामले शामिल हैं।529.

(18) वर्तमान मामले में, गैर-मौजूद सामग्री पर राय तैयार की गई है, यानी बिना किसी सबूत के, जैसा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विवादित आदेश से स्पष्ट है, जिसमें प्राथमिकी आर. संख्या 4 दिनांक 03.01.2007 और दो विभागीय पूछताछों का संदर्भ दिया गया है।इन दोनों मामलों के परिणाम पहले ही ऊपर देखे जा चुके हैं। इस प्रकार, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कोई आधार मौजूद नहीं है और यह रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री का मामला नहीं है।सूर्यकांत चुनिलाल के मामले (ऊपर) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"9. यह निर्णय बॉम्बे सिविल सेवा नियम, 1959 के नियम 161 के तहत लिया गया था, जो निम्नलिखित प्रावधान करता हैः

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2012(1)

652

"161. (1) (क) इस नियम के अन्य खंडों में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के अलावा किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख वह तारीख है जिस पर वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

प्रदान किया गया -

((i)-(ii)

(iii) उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद केवल सार्वजनिक आधार पर सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ सेवा में रखा जा सकता है जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

((क) खंड (क) में किसी बात के होते हुए भीः(i) एक नियुक्ति प्राधिकारी, यदि उसकी राय है कि ऐसा करना लोक हित में है, तो उसे किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का आत्यन्तिक अधिकार होगा, जिसे खंड (ए) लागू होता है, उसे लिखित रूप में कम से कम तीन महीने या ऐसे नोटिस के बदले में तीन महीने के वेतन और भत्तों की सूचना देकरः(1) यदि वह प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की सेवा या पद पर या किसी अवर्गीकृत राजपत्रित पद पर है, तो सीधी भर्ती के उद्देश्य से आयु सीमा 35 वर्ष से कम है, उस तारीख को या उसके बाद जिस दिन वह 50 वर्ष की आयु प्राप्त करता है और,

(2) यदि वह किसी अन्य सेवा या पद पर है, तो सीधी भर्ती के उद्देश्य से आयु सीमा 40 वर्ष से कम है, उस तारीख को या उसके बाद जिस दिन वह 55 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

((ii) कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसे खंड (क) लागू होता है, नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन महीने की लिखित सूचना देकर, 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है, यदि वह प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की सेवा या पद पर है या किसी अवर्गीकृत राजपत्रित पद पर भर्ती के उद्देश्य से आयु-सीमा है जिसमें 35 वर्ष से कम है और दूसरे मामले में, 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बादः

बशर्ते कि यह नियुक्ति प्राधिकारी के लिए खुला होगा कि वह किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने की अनुमति रोक सके जो निलंबन के अधीन है, या जिसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित है या विचाराधीन है और जो इस उपखंड के तहत सेवानिवृत्त होना चाहता है।

(ख) एक सरकारी कर्मचारी।

(19) मेरा विचार है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अधिकार क्षेत्र का एक रंगीन अभ्यास है और इसे रद्द किया जा सकता है।(20) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन दो रिट याचिकाओं को निम्नलिखित निर्देशों के साथ अनुमति दी गई हैः-

1. दिनांकित 23.05.2007 (2008 के CWP No.21197 में अनुलग्नक P-1) के साथ-साथ दिनांकित 29.05.2008 (अनुलग्नक P-3) के आदेश के माध्यम से संप्रेषित एक संदिग्ध सत्यनिष्ठा की प्रविष्टि को इस हद तक अस्वीकार कर दिया जाता है कि यह संदिग्ध सत्यनिष्ठा की प्रविष्टि से संबंधित है।

2. 2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.476 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिनांक 02.01.2009 (अनुलग्नक पी-6) भी रद्द कर दिया गया है।3. याचिकाकर्ता को तुरंत सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जाता है।याचिकाकर्ता मध्यवर्ती अवधि के दौरान किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा, यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से जब तक कि उसे बहाल नहीं किया जाता है, हालांकि उसे वेतन वृद्धि के काल्पनिक लाभों की अनुमति दी जाएगी, कोई अन्य लाभ जो उसे उपलब्ध हो सकता था यदि वह सेवा में होता, तो वेतन में संशोधन आदि, यदि कोई हो, बहाली पर अपने वेतन को निर्धारित करने के उद्देश्य से।

(21) इस आदेश की एक प्रति संलग्न अभिलेख पर रखी जाए।

फ़ाइल.

वी. सूरी

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता I सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा I

gurvinder kaur